बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रथम तल, ब्लॉक–4, पुराना सचिवालय परिसर, पटना–8000015

अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला सहायता योजना

उद्देश्य

राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु यह योजना वित्तीय वर्ष 2006–2007 से संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2017–18 से राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता की **राशि ₹10,000/–(दस हजार रुपये)** से बढ़ाकर **₹25,000/–(पच्चीस हजार रुपये)** मात्र कर दिया गया है।

पात्रता

- तलाकशुदा होना/पति द्वारा 02 वर्षों से अधिक अवधि से परित्याग/पति का पूर्णतः मानसिक रूप से अपंग होना।
- आवेदिका की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष एवं वार्षिक आय ₹ 4,00,000/– से कम हो।

नोट:–बेवा/मोसमात महिला इस योजना की पात्र नहीं होंगी।

प्रक्रिया

- आवेदिका संलग्न आवेदन प्रपत्र को भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन अपने जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा करें।
- जाँच के पश्चात् अनुदान राशि RTGS/DBT के माध्यम से उनके बैंक खाते में सीधे अंतरण कर दी जाएगी।

अब तक कुल **15,592 महिलाओं** को इस योजना के तहत लाभान्वित किया गया है।

सम्पर्क :

आवेदन एवं अधिक जानकारी हेतु जिला मुख्यालय में अवस्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क करें।

टॉल फ्री फोन नं० :– 18003456123

वेबसाइट :– www.minoritywelfare.bih.nic.in

PR No.- 016540 (Minority Welfare)D. 2024-25